न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र आर.ए.एस..

मुअल प्र.सं. : 8/2023
सीएमएस : 2023/48
मंगीलाल पुत्र श्री राजाराम जाति बिश्नोई साकिन हरीपुरा बारानी तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ।
मनोहरलाल पुत्र श्री सोहनलाल जाति बिश्नोई साकिन 2 एल.सी. ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ।

अप्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर।

:अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:–17.01.2023

उपस्थित: 1.श्री राजेश बिश्नोई प्रार्थीगण अधिवक्ता।
2. राजपेरोकार सरकार

––निर्णय––

दिनांक 30.05.2024

...प में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क ...थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हम ...ण को अपनी जो वाके चक 2 एलसी तहसील रायसिंहनगर का खाता संख्या 109 मु.नं. 26 के कि.नं. 1–2–8/2–9–10 की 1.174 है. नहरी व मुरब्बा नं. 12 138/338 के कि.नं. 6 ता 8/1 की 0.632 है. नहरी भूमि कुल दोनों मुरब्बों की है. नहरी भूमि व प्रार्थी संख्या 2 मनोहरलाल की इसी चक के खाता संख्या 92 के मुरब्बा नं. 9 पं.नं. 135/335 के कि.नं. 11 ता 15/3 की 1.214 है. नहरी 26 है. गै.मु.रा. व 0.025 है. खाला व मुरब्बा नं. 11 पं.नं. 137/335 के कि.नं. 8 3/1 की 1.189 हे. नहरी इस प्रकार दोनों मुरब्बों की कुल 2.454 है. नहरी मय ...। व खाला में आने जाने हेतु वाके चक हरीपुरा बारानी का खाता संख्या 1 मुरब्बा 0 पं.नं. 137/334 के कि.नं. 11 ता 15 (कि.नं. 16 ता 20 के साथ के साथ ...। हुआ) में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है। प्रार्थीगण आने–जाने के इसी राजकीय भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे है प्रार्थीगण के पास आने जाने ...ए कोई रास्ता नहीं है इसलिए प्रार्थीगण की सुविधा को मध्यनजर ध्यान में रखते रास्ता स्वीकृत किया जावे। प्रार्थीगण 251 के के प्रावधानों के अनुसार राशि जमा ...ने के लिए सहमत है

...र्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया एव ...लदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट हेतु पत्र जारी किया गया है।

...हसीलदार रायसिंहनगर की मौका जांच रिपोर्ट पत्र क्रमांक/ राजस्व/2024/63 ...क 23.01.2024 से प्राप्त हो चुकी है मौका रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थीगण ने चक 2 ...ी में स्थित भूमि मे आवागमन हेतु चक हरीपुरा बारानी के मु.नं. 90 के कि.नं. 11 ...5 में दो–दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया है। उक्त प्रकरण के ...। में उप तहसीलदार मुकलावा से रिपोर्ट ली गई। मुताबिक रिपोर्ट व जमाबंदी चक ...रा बारानी के मु.नं. 90 के कि.नं. 1 ता 10 सालम ... ता ... प्रत्येक 0.063 है. ...। गै. मु. आबादी/ आराजीराज दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण ... खाला आदि की भूमि ... चक के चिपते चक 2 एलसी के मु.नं. ... के मु.नं. 4 कि.नं. 20–21 में स्वीकृत शुद्दा चालू रास्ता ... प्रार्थी को अपनी भूमि ...गमन हेतु चक हरीपुरा बारानी के मु.नं. 90 के कि.नं. 11 की 0.063 है. आराजीराज

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.06.07 10:41:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

भूमि में से दो बिस्वा चौड़ा रास्ता स्वीकृत कर दिये जावे तो मु.नं. 4 के कि.नं. में स्वीकृत रास्ते से आगे आबादी से कटानी मिलान हो सके। जिससे प्रार्थी में स्वीकृत रास्ते से होते हुए मु.नं. 90 के कि.नं. 11 में प्रस्तावित रास्ता से मु.नं. 4 के कि.नं. 20–21 में स्वीकृत रास्ते के जरिये अपनी भूमि में आवागमन सकता है। अतः प्रार्थी को चक 2 एलसी में स्थित अपनी भूमि में आवागमन हेतु हरीपुरा बारानी के मु.नं. 90 के कि.नं. 11 की 0.063 है. आराजीराज दर्ज भूमि में बिस्वा चौड़ा रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है ताकि चक 2 एलसी के मु.नं. कि.नं. 20–21 में स्वीकृत रास्ते से आगे आबादी से कटानी मिलान हो सके। यही शुद्धा रास्ता से निकटतम दूरी पर है। मुताबिक नजरी नक्शा प्रार्थी के खेत में हेतु अन्य कोई स्वीकृतशुद्धा रास्ता नहीं है। मौका रिपोर्ट मे अन्य कोई विकल्प अंकित नहीं होने पर पुनः बिन्दूबार स्पष्ट रिपोर्ट हेतु उपतहसीलदार मुकलावा से मौका निरीक्षण सहित रिपोर्ट पेश करने हेतु इस न्यायालय द्वारा पत्र क्रमांक /2024/128 दिनांक 08.02.2024 पत्र जारी किया गया।

उप तहसीलदार मुकलावा ने अपने स्वयं मौका निरीक्षण रिपोर्ट न्यायालय के पत्र क. रीडर/2024/128 दिनांक 08.02.2024 की पालना में रिपोर्ट प्रेषित करते हुए त किया कि प्रार्थी मागीलाल पुत्र राजाराम की भूमि चक 2 एलसी के मु.नं. 26 व में कुल 1.806 है. नहरी व प्रार्थी मनोहरलाल पुत्र सोहनलाल की भूमि चक 2 सी के मु.नं. 9 व 11 में कुल 2.454 है. नहरी राजस्व रिकार्ड दर्ज है। प्रार्थीगण ने भूमि में आवागमन हेतु मु.नं. 90 के कि.नं. 11 ता 15 में 0.025 है. रास्ता चाहा जो कि वर्तमान में अराजीराज राजस्व रिकार्ड दर्ज है। उपर्युक्त प्रकरण में बिन्दूबार दन निम्न है:–

1. प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता आत्यांतिक श्रेणी में आता है।
2. प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते की मांग केवल स्वयं की सुविधा के लिए की गई है।
3. प्रार्थीगण को अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है।
4. प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम रास्ता नहीं है

प्रस्तावित रास्ताः– प्रार्थीगण को चक हरीपुरा बारानी के मु.नं. 90 के कि.नं. 11 में 0.025 है. रास्ता दिया जाए तो चक 2 एलसी के मु.नं. 4 के कि.नं. 20–21 में स्वीकृत शुद्धा रास्ते के जरिए अपनी भूमि में आवागमन कर सकता है।

इस वकील प्रार्थीगण की सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना में अंकित तथ्यों को राया एवं कथन किया कि प्रार्थीगण को अपने खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है रास्ते के बदले प्रार्थीगण राज्य सरकार के मानुसार राशि का भुगतान भी कर सकते है।

हमने विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष, की बहस सुनकर व पढकर उस पर गौर या। प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट एवं उपतहसीलदार लावा के स्वयं मौका निरीक्षण की बिन्दूबार रिपोर्ट, भू–अभिलेख निरीक्षक एवं वारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों [illegible] मौका निरीक्षण, सीलदार उपतहसीलदार, भू–अभिलेख निरीक्षक एवं [illegible] की संयुक्त जांच र्ट एवं फर्द मौका एवं राजस्व रिकार्ड [illegible] प्रार्थीगण को अपनी तेदारी भूमि चक हरीपुरा बारानी के मु.नं. 90 के कि.नं. 11 में 0.025 है. रास्ता दिया ए तो चक 2 एलसी के मु.नं. 4 के कि.नं. 20–21 में स्वीकृत शुद्धा रास्ते के जरिए नी भूमि में आवागमन कर सकते है।स्वीकृत होने से निम्न [illegible] अभिलिखित रास्ते

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.06.07 10:41:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

र्थीगण की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। प्रार्थीगण को अपनी भूमि में प्रवेश के अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है अतः प्रार्थीगण द्वारा की गई रास्ते की मांग वश्यक है और प्रार्थी द्वारा की गई रास्ते की मांग स्वयं की सुविधा मात्र के लिए । यह प्रार्थीगण की आत्यांतिक श्रेणी में आता है। अन्य वैकल्पिक रास्ता भी नहीं तः प्रार्थना पत्र 251 क प्रार्थीगण का स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते

–:कियान्वयन आदेश:–

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बखूबी साबित होने से आशिंक स्वीकार जाकर **चक हरीपुरा बारानी के मु.नं. 90 के कि.नं. 11 में 0.025 है. गैरमुमकिन दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है।** कि.नं. 11 की 0.025 है. भूमि राज राजस्व रिकार्ड दर्ज है अतः तहसीलदार रायसिंहनगर उक्त रास्ते में आने भूमि के बदले प्रार्थीगण से डीएलसी दर की दुगुनी राशि राजस्व मद में जमा वे। इस के उपरान्त ही गैरमुमकिन रास्ता कायम करे एंव राजस्व रिकॉर्ड में दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एंव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो हटाये। ऐसा आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो, पत्रावली शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

आज दिनांक 30.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया ।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.06.07 10:41:53 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner